संख्या-004/वीजीएल/018
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 16.12.2014

परिपत्र सं0 10/12/2014

विषय : बैंकिग क्षेत्र में सतर्कता दृष्टिकोण का निर्धारण ।

आयोग के दिनांक 15.4.2004 के कार्यालय आदेश सं0 24/4/04 तथा दिनांक 26.3.2009 के परिपत्र सं0 7/3/09 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा बैंक में प्राप्त शिकायतों की संवीक्षा करने के लिए तथा निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा आदि से उत्पन्न हुए मामलों की भी संवीक्षा करने हेतु तथा उन लेन देन में सतर्कता दृष्टिकोण अथवा अन्यथा का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक बैंक में एक आंतरिक सलाहकार समिति (आईएसी) के गठन के संबंध में बताया गया था । `सतर्कता दृष्टिकोण` के निर्धारण के संबंध में, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी के मध्य मतभेद होने के मामले में पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश भी आयोग द्वारा दिनांक 26.3.2009 के परिपत्र द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए थे ।

2. आयोग के ध्यान में यह आया है कि कुछ बैंकों में, वरिष्ठ बैंक कार्यकारी तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में आंतरिक सलाहकार समिति तंत्र के माध्यम से निर्धारित उचित परामर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना उन मामलों में कार्रवाई कर रहे हैं जिनमें सतर्कता दृष्टिकोण को `गैर-सतर्कता` समझा गया है और इस प्रकार इन मामलों को सलाह के लिए आयोग को नहीं भेज रहे हैं । अत:, सभी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि सतर्कता प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर वरिष्ठ कार्यकारियों एवं अनुशासनिक प्राधिकारियों को सुग्राही बनाए ताकि संबंधित बैंक में गठित आंतरिक सलाहकार समिति द्वारा ऐसे सभी मामलों पर विधिवत विचार किया जाना तथा आयोग के उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में निर्णय लिया जाना सुनिश्चित हो सके ।

ह0/-
(एम. ए. खान)
अवर सचिव

सेवा में

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सभी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।